भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *201

सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार

***201. श्रीमती रुचि वीरा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद देश में बेरोजगारी अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश भर में सरकारी क्षेत्र की कितनी कंपनियों ने युवाओं को रोजगार प्रदान किया है और इन कंपनियों द्वारा नियोजित युवाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार के संबंध में श्रीमती रुचि वीरा, सांसद द्वारा दिनांक 04.08.2025 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *201 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा स्रोत है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 6.0% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार है:

(% में)

वर्ष	**डब्ल्यूपीआर**
2019-20	50.9
2020-21	52.6
2021-22	52.9
2022-23	56.0
2023-24	58.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

यह आँकड़े दर्शाते हैं कि देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए रोज़गार (सरकारी क्षेत्र की कंपनियों सहित) को दर्शाने वाले कामगार जनसंख्या अनुपात में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि का रुझान दिखाई दे रहा है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर उपलब्ध है।

रोज़गार सृजन के साथ-साथ रोज़गार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोज़गार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है। इनमें अन्य के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण

कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [**www.ncs.gov.in]** के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। दिनांक 14.07.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 6.43 करोड़ से अधिक रिक्तियां (जिसमें अन्य के साथ-साथ सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं) जुटाई गई हैं।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

(ग): सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण (पीई सर्वेक्षण) में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, सीपीएसई की वर्षवार संख्या और सभी कर्मचारियों की सूचित की गई संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	**सीपीएसई की संख्या**	**सभी कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)**
2019-20	250	14.74
2020-21	258	13.72
2021-22	261	14.62
2022-23	261	14.90
2023-24	271	15.19

स्रोत: सर्वेक्षण प्रभाग, लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय

पिछले पांच वर्षों के दौरान इन कंपनियों द्वारा नियोजित युवाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 04.08.2025 के तारांकित प्रश्न *201 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सीपीएसई द्वारा सभी कर्मचारियों की वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सभी कर्मचारियों की संख्या 31.03.2024 तक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**940**
2	आंध्र प्रदेश	**64,377**
3	अरुणाचल प्रदेश	**1,664**
4	असम	**44,322**
5	बिहार	**26,298**
6	चंडीगढ़	**920**
7	छत्तीसगढ	**89,855**
8	दादरा और नगर हवेली	**456**
9	दमन और दीव	**104**
10	दिल्ली	**35,287**
11	गोवा	**4,615**
12	गुजरात	**66,401**
13	हरियाणा	**41,111**
14	हिमाचल प्रदेश	**5,068**
15	जम्मू और कश्मीर	**12,603**
16	झारखंड	**1,31,992**
17	कर्नाटक	**76,167**
18	केरल	**34,300**
19	लद्दाख	**381**
20	लक्षद्वीप	**51**
21	मध्य प्रदेश	**97,417**
22	महाराष्ट्र	**1,68,549**
23	मणिपुर	**662**
24	मेघालय	**843**
25	मिजोरम	**258**
26	नागालैंड	**746**
27	ओडिशा	**1,26,826**
28	पुदुचेरी	**2595**
29	पंजाब	**20,936**
30	राजस्थान	**55,271**
31	सिक्किम	**970**
32	तमिलनाडु	**1,09,472**
33	तेलंगाना	**36,778**
34	त्रिपुरा	**3,103**
35	उत्तर प्रदेश	**86,103**
36	उत्तराखंड	**19,756**
37	पश्चिम बंगाल	**1,35,736**
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल	**15,02,933***

*15,650 कर्मचारियों के लिए या तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विभाजन उपलब्ध नहीं है या वे विदेश में तैनात हैं

स्रोत: सर्वेक्षण प्रभाग, लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय